(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002 Notification No. 20/2023-State Tax (Rate)

Dated: 28 18 12024

No. F.3 ())/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I.- 7/7 In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government Notification No. 5/2017-State Tax (Rate), published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3(15)/Fin(Rev-1)/2017-18/DS-VI/371, dated the 30th June 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, after S. No. 6A and the entries relating thereto, following S.No. and the entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"6AA.	5605	Imitation zari thread or yarn made out of Metallised polyester film /plastic film;
		Explanation: This entry shall apply for refund of input tax credit only on polyester film /plastic film";

This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

Note: - The principal notification No.5/2017- State Tax (Rate), published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3(15)/Fin(Rev-1)/2017-18/DS-VI/371, dated the 30th June 2017 and was last amended by notification No. 9/2022 – State Tax (Rate), published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3(30)/Fin(Exp-I)/2022-23/DS-I/897, dated 17th November 2022.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary (Exp.-I)

No. F.3 (|)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/ 7/7

Copy forwarded for information to:-

. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

Dated: 28 18 12024

- 3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 8. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 10. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- Website.

12. Guard File.

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary (Exp.-I)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय–I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या– 20/2023–राज्य कर (दर)

दिनांक: 28/8 / 2024

सं.फा.3(|) / वित्त(व्यय—I) / 2024—25 / डीएस—I / 7/7 : दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 5/2017—राज्य कर (दर), जिसे स.फा. 3(15) / वित्त(राजस्व—1) / 2017—18 / डीएस—VI / 371, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग—IV खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः—

(1)	(2)	(3)
"6कक	5605	धात्विक पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म से बना इमीटेशन ज़री धागा या सूत स्पष्टीकरणः यह प्रविष्टि केवल पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म पर इनपुट टैक्स
		क्रेडिट की वापसी के लिए लागू होगी।";

2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

नोटः मूल अधिसूचना को दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में अधिसूचना संख्या 5/2017-राज्य कर (दर), जिसे स.फा. 3(15)/ वित्त(राजस्व-1)/2017-18/ डीएस-VI/371, दिनांक 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2022-राज्य कर (दर), दिनांक 17 नवंबर, 2022, जिसे स.फा. 03(30)/ वित्त(व्यय-1)/2022-23/ डीएस-I/897, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> (रविन्द्र कुमार) उप सचिव (व्यय– I)

दिनांकः री. / / 2024

सं.फा.3(🚺)/वित्त(व्यय—I)/2024—25/डीएस—I/7/7 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10 मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

ार्थ वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार) उप सचिव (व्यय– I)

